प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 943/2007

याचिकाकर्ता - तपन कुमार नस्कर

बनाम

उत्तरवादीगण - राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 15.05.2007 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 943/2007

याचिकाकर्ता - **तपन कुमार नस्कर,**

पिता – स्वर्गीय शंभु लाल नस्कर, आयु लगभग 53 वर्ष,

निवासी – ए-32, वसुंधरा नगर, रिंग रोड क्रमांक 2,

बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग,

डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राज्य छत्तीसगढ़,

डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

3. श्री ए.के. श्रीवास्तव, उप संभागीय अधिकारी, हसदेव उप-

खनन उपखंड क्रमांक 4, नवागढ़, जिला – जांजगीर-चांपा

(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री के. के. गुप्ता, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से श्री वी. वी. एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से श्री पी. मिश्रा, अधिवक्ता।

.....

आदेश

(दिनांक 15 मई, 2007 को पारित)

(1) याचिकाकर्ता, दिनांक 09.02.2007 (अनुलग्नक पी./3) के स्थानांतरण आदेश से व्यथित होकर, उक्त आक्षेपित आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती देते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

(2) निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता का स्थायी पद सहायक अभियंता है। दिनांक 31.12.2006 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर प्रबंधन प्रभाग, जांजगीर का अतिरिक्त प्रभार, वित्तीय एवं अन्य प्रशासनिक शक्तियों सहित, प्रदान किया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 08.12.2006 के आदेश द्वारा एक श्री एस.आर. मिंज, सहायक अभियंता (रूपन), को कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर प्रभाग, सक्ती के कार्यालय से स्थानांतरित कर मिनीमाता बांगो नहर उप-प्रभाग क्रमांक 17, बिलासपुर में, याचिकाकर्ता के स्थान पर पदस्थ किया गया। याचिकाकर्ता को पूर्व में दिनांक 31.10.2006 के आदेश के अनुसार पूर्ण रूप से प्रभारी कार्यपालन अभियंता का कार्य सौंपा गया था। आक्षेपित आदेश दिनांक 09.02.2007 के द्वारा, याचिकाकर्ता को प्रभारी कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर प्रबंधन प्रभाग, जांजगीर के पद से स्थानांतरित कर हसदेव उप-प्रभाग क्रमांक 4, नवागढ़ में, उत्तरवादी क्रमांक 3 के स्थान पर पदस्थ किया गया, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 को याचिकाकर्ता के स्थान पर हसदेव नहर प्रबंधन प्रभाग, जांजगीर का कार्यपालन अभियंता का प्रभार दिया गया।

(3) याचिकाकर्ता ने उक्त स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था तथा यह आदेश उत्तरवादी क्रमांक 3 को उसके स्थान पर समायोजित करने हेतु शक्ति का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर का अगला तर्क यह है कि जिस अवधि में जल उपभोक्ता संस्था के निर्वाचन के कारण आचार संहिता लागू थी, उस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवधि में उक्त आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, अतः यह आदेश अवैध एवं दोषपूर्ण है।

(4) इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वी. वी. एस. मूर्ति ने यह प्रतिपादित किया कि आक्षेपित आदेश से याचिकाकर्ता की सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। याचिकाकर्ता का मूल पद सहायक अभियंता है तथा वह कार्यपालन अभियंता का केवल प्रभार धारण कर रहा था, अतः उसे उक्त पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। निर्वाचन के संबंध में, अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि उस अवधि में कोई आचार संहिता लागू नहीं थी, क्योंकि जल उपभोक्ता संस्था का निर्वाचन कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से संबंधित नहीं है।

5) उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री पी. मिश्रा ने राज्य के तर्कों को अंगीकृत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) यह सत्य है कि दिनांक 11.01.2007 के पत्र (अनुलग्नक पी./5) के अनुसार दिनांक 15.01.2007 से 11.02.2007 तक आचार संहिता लागू थी। निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07.01.2007 के ज्ञापन के माध्यम से जारी 'क्या करें और क्या न करें' में, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वर्तमान प्रकरण में, जो निर्वाचन जल उपभोक्ता संस्था से संबंधित था, उसमें याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 3, निर्वाचन संचालन से संबंधित नहीं थे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के 'क्या करें और क्या न करें' का सुसंगत अंश निम्नानुसार उद्धृत है :–

> "**अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में :** आयोग निर्देशित करता है कि निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :–"

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा अतिरिक्त/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी;

(ii) संभागीय आयुक्त;

(iii) जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तथा निर्वाचन संचालन से संबंधित अन्य राजस्व अधिकारी;

(iv) पुलिस विभाग के वे अधिकारी जो निर्वाचन प्रबंधन से संबंधित हों, जैसे रेंज आई.जी., डी.आई.जी., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप संभागीय स्तर के पुलिस अधिकारी जैसे उप पुलिस अधीक्षक तथा वे अन्य पुलिस अधिकारी जिन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क के अंतर्गत आयोग के अधीन नियुक्त किया गया हो;

(v) अन्य अधिकारी जो निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किए गए हों, जैसे सेक्टर एवं जोनल अधिकारी, परिवहन प्रकोष्ठ, ईवीएम प्रकोष्ठ, मतदान सामग्री क्रय एवं वितरण प्रकोष्ठ तथा राज्य में निर्वाचन प्रबंधन से संबंधित अन्य अधिकारी, भी इस निर्देश के अंतर्गत सम्मिलित हैं;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vi) उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में निर्वाचन की घोषणा से पूर्व जारी किए गए स्थानांतरण आदेश, जो आचार संहिता लागू होने तक प्रभावी नहीं किए गए हों, उन्हें आयोग की विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना प्रभावी नहीं किया जाएगा;

(vii) यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा;

(viii) जिन मामलों में प्रशासनिक आवश्यकता के कारण किसी अधिकारी का स्थानांतरण आवश्यक समझा जाता है, राज्य सरकार पूर्ण औचित्य सहित आयोग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सकती है;

(ix) इस अवधि के दौरान, आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम में नियुक्ति या पदोन्नति नहीं की जाएगी।

(7) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेखों एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 3 का स्थायी पद सहायक अभियंता है। प्रारंभ में याचिकाकर्ता को कार्यपालन अभियंता, जो पदक्रम में उससे उच्च है, का अतिरिक्त प्रभार दिया गया तथा तत्पश्चात उसे पूर्ण रूप से प्रभारी कार्यपालन अभियंता का कार्य सौंपा गया। आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को उसके मूल स्थायी पद पर वापस भेजा गया है, जो न तो पदावनति है और न ही दंड। उच्च पद का प्रभार दिया जाना मात्र अस्थायी व्यवस्था होता है तथा याचिकाकर्ता इस आधार पर कोई अधिकार दावा नहीं कर सकता कि वह वरिष्ठ अधिकारी का कार्य देख रहा था और जब तक उस पद पर नियमित पदाधिकारी नियुक्त न हो, तब तक किसी अन्य व्यक्ति को पदस्थ नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उत्तरवादी क्रमांक 3 एवं याचिकाकर्ता, दोनों ही सहायक अभियंता हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 से वरिष्ठ है। तथापि, यह तथ्य भी असंगत है, क्योंकि प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में किसी कर्मचारी को पदस्थ करना नियोक्ता का अधिकार है।

(9) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का दूसरा तर्क कि उत्तरवादी क्रमांक 3 अधिक प्रभावशाली है और उसे समायोजित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया, मात्र याचिकाकर्ता के स्वयं के कथन पर आधारित है। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह शक्ति का दुरुपयोग था। अतिरिक्त प्रभार की वापसी के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है।

(10) यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यह न्यायालय, भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल सीमित दायरे में न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। यह पुनर्विलोकन केवल उस स्थिति में किया

जाता है जब निर्णय प्रक्रिया में विकृति, अनियमितता या अवैधता हो, न कि स्वयं निर्णय की समीक्षा के लिए।

(11) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वी. रमना बनाम ए.पी. एसआरटीसी {(2005) 7 एससीसी 338} के प्रकरण में, बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ तथा भारत संघ बनाम जी. गणयुथम सहित अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, कंडिका 11 में निम्नानुसार अभिलिखित किया :–

> "**11.** इन सभी निर्णयों में निहित सामान्य सिद्धांत यह है कि न्यायालय प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह अविवेकपूर्ण, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से ग्रसित, अथवा न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला न हो, अर्थात् वह तर्क या नैतिक मानकों के प्रतिकूल न हो। एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड बनाम वेडन्सबरी कॉर्पोरेशन (वेडनसबरी प्रकरण) में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, न्यायालय प्रशासक द्वारा किए गए विकल्प की शुद्धता की जांच नहीं करेगा तथा न ही अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में दोष तक सीमित है, न कि निर्णय पर।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) राम सरन बनाम पुलिस महानिरीक्षक, CRPF {(2006) 2 SCC 541} के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिलिखित किया :–

> "**8.** न्यायालय प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह अयुक्तियुक्तपुर्ण, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से युक्त अथवा न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला न हो, अर्थात् वह तर्क या नैतिक मानकों के प्रतिकूल न हो। वेडनसबरी प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, न्यायालय प्रशासक द्वारा किए गए विकल्प की शुद्धता की जांच नहीं करेगा तथा अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं करेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा केवल निर्णय-प्रक्रिया में दोष तक सीमित है, न कि स्वयं निर्णय तक।"

(13) उपर्युक्त स्थापित विधिक सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार का भेदभाव, मनमानी अथवा अविवेकपूर्णता परिलक्षित नहीं होती है। अतः, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur